

# नगर परिषद करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रश्न सं. [क. 3159]

**राजीव सिक्खार**

उपाध्यक्ष

नगर परिषद करैरा



**निवास**

जैन मंदिर के पास, चांद दरवाजा  
करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मोबा. 9981228455

क्रमांक @ Po(C)  
प्रति, श्रीमान् प्रमुख अभियंता महोदय  
अर्वन डेबलपमेंट डिपार्टमेंट भोपाल (म.प्र.)

म.प्र. अर्वन डेबलपमेंट इन्फो लिमिटेड  
(नियत विद्युत एवं गैस लाइनें)  
क्रमांक 3159 दिनांक 21/07/22

दिनांक 5/10/2022

विषय: नगर करैरा में 49 करोड़ की वित्त पोषित पेयजल योजना में गुणवत्ता विहीन अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करने के सम्बंध में।

1. गुणवत्ता विहीन मटेरियल एवं सामग्री
  2. नियत गहराई से कम पर पाईप लाईन का विछाया जाना।
  3. नगर की कई गलियों में खुदाई के बाद में रेस्टोरेसन का कार्य अपूर्ण रहना आदि।
  4. वर्षा काल में शहरी की खुदाई कर मन माने तरीके से कार्य किया जाना।
- एवं कार्य में सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था ना किया जाना महोदय,

CE(S) 21/10/22  
MPUC

विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर करैरा में विगत 6 वर्षों से प्रचलित 49 करोड़ की ए.डी.व्ही. वित्त पोषित पेयजल योजना हेतु पाईप लाईन विछाकर कार्य किया जाना है जिसमें तय मानकों का प्रयोग ना कर मनमाने ढंग से लाईन विछाकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

1. नगर परिषद के द्वारा निम्न शर्तों के अधीन कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसका कम्पनी द्वारा पालन नहीं किया गया एवं सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था ना करने के कारण नगर परिषद के पास की पानी की टंकी बनाते समय टंकी से गिरने के कारण एक मजदूर की मृत्यु हो चुकी है। एवं वर्षा काल में परिषद की बिना अनुमति के कार्य प्रारम्भ कर दिया जा रहा जिससे रोड़ पर गंदगी एवं कई नल तोड़ दिये जाते हैं जिससे नगर में पानी की व्यवस्था बाधित हो रही है। परिषद द्वारा बार बार शिकायत करने पर भी कम्पनी अपनी मन-मानी पर आतुर है जिसकी पुष्टि नगर परिषद के पत्र क्रमांक 1289/2018 दिनांक 15/11/2018 एवं पत्र क्रमांक 642 से 643 तक दिनांक 25/08/2020 पत्र क्रमांक 603/2021 दिनांक 11/06/2021 एवं पत्र क्रमांक 777/2022 दिनांक 01/09/2022 से होती है। जिसकी जानकारी पी.आई.यू. ग्वालियर को परिषद द्वारा दी गई थी।

2. कम्पनी रियान वाटर टेक्नोलॉजी प्रा.लि. द्वारा तय मानको का प्रयोग ना कर मनमाने ढंग से खुदाई कर लाईन विछाई जा रही है जिसकी पुष्टि सयुक्त टीम से एस.डी.एम. करैरा द्वारा जांच प्रतिवेदन 16/06/2021 से होती है जिस में स्पष्ट उल्लेख है जिसमें पाईप लाईन को नियत गहराई पर नहीं विछाया गया है जिससे पाईप लाईन टूटने का खतरा बना रहता है जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता पर संदेह है।

4567  
16/8/23

SS-3604

5/10/2022

APC(SD)  
Pl. put up  
UB how by  
21/10/22

# नगर परिषद करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)

राजीव सिफनवार  
उपाध्यक्ष  
नगर परिषद करैरा



निवास

जैन मंदिर के पास, चांद दरबाज  
करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)  
मोबा. 998122845:

क्रमांक

दिनांक.....

- कम्पनी द्वारा नगर की कई गलियों की खुदाई कर लाईन भी नहीं डाली गई एवं कई जगह रेस्टोरेसन का कार्य एक वर्ष बाद भी नहीं किया गया है जिससे नगर में जनता के बीच शासन एवं प्रशासन में नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। एवं पत्र क्रमांक 1442 दिनांक 15/02/2021 आयुक्त सह प्रबंधक संचालक अर्बन डेबलपमेंट द्वारा कम्पनी को कार्य की धीमी गति के लिये कहा गया है।
- नगर परिषद के पत्र क्रमांक 304/2022 दिनांक 29/03/2022 को योजना के प्रचार के लिये नुक्कड सभा बॉल पेन्टिंग एवं होडिंग बैनर की अनुमति दी गई थी। परन्तु कम्पनी द्वारा कुछ जगह होडिंग लगाकर इतिश्री कर ली गई जिससे इस महत्वपूर्ण योजना का सही से प्रचार-प्रसार नहीं हो सका।  
परन्तु आज दिनांक तक रियान वाटर टेक प्रा. लि. कम्पनी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही पाईप लाईन विछाने का कार्य पूर्ण हुआ है।

अतः श्रीमान् महोदय से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

कम्पनी द्वारा मनमानी-

- नगर परिषद को बिना सूचित किये वर्षाकाल में नगर में कार्य प्रारम्भ कर देना।
- कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार साईट पर कार्यपालन यंत्रों या सहयंत्रों का साईट पर कभी उपस्थिति ना होना जो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अनिवार्य है।
- टीला रोड़ पर पाईप लाईन डालने के बाद आज दिनांक तक नल के घरेलू कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। जबकि कम्पनी द्वारा सर्वप्रथम इसी रोड़ पर कार्य किया गया था। जिस पर आज रोड़ निर्माण का कार्य हो चुका है। जिसके कारण उपभोक्ता को कनेक्शन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

मुख्य दस्तावेज :

- |  |  |
|--|--|
| 1. निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16/06/2021    | 2. नगर परिषद पत्र दिनांक 15/11/2018                |
| 3. नगर परिषद पत्र दिनांक 25/08/20          | 4. नगर परिषद पत्र दिनांक 11/06/2021                |
| 5. नगर परिषद पत्र दिनांक 01/09/2022        | 6. आयुक्त सह प्रबंधक संचालक पत्र दिनांक 15/02/2021 |
| 7. नगर परिषद अनुमति पत्र दिनांक 29/03/2022 | 8. साईड के फोटो                                    |

प्रतिलिपी:

- प्रमुख अभियंता म.प्र. अर्बन डेबलपमेंट डिपार्टमेंट भोपाल ● कलैक्टर शिवपुरी
- परियोजना प्रबंधक एम.पी यू.डी.सी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन

नगर विकास एवं पर्यावरण विभाग